

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक:एफ.3(PFMS)/आजभूसं/लेखा/2017-18/7876-7993 दिनांक: 28-11-17

कार्यालय आदेश

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के आदेशानुसार विभाग में चल रही समस्त केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के भुगतान/हस्तानान्तरण आदि का कार्य PFMS Portal के माध्यम से किया जाना है। जो भुगतान PFMS Portal के अनुसार Cheque द्वारा ही किये जा सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही Cheque द्वारा किया जाए, अन्य को नहीं। अतः जिला स्तर पर सभी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के (जिला स्तर से) समस्त भुगतान/हस्तानान्तरण 1 दिसम्बर 2017 के पश्चात् केवल PFMS के माध्यम से PPA (Print Payment Advice) के द्वारा ही किये जावेगे। PIA एवं WC स्तर के लिए भी शीघ्र ही यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रारम्भ की जावेगी। अतः उक्त स्तर से भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जावे। जिला स्तर पर कार्य करने के लिए Data Operator/Data approver प्रत्येक जिले के एडमिन के Login ID से ही बनाए जावेंगे। जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

Masters→USERS→Add new user

PFMS Team (SPMU) के Contact No. -

Mr. SC Gupta (Sr. AO) -9460071794

Mr. Narendra (AAO-I)- 9414855236

Email:rajasthan.pfms@gmail.com

संलग्न:- यूजर नेम एवं पासवर्ड की प्रति

नोट- कृपया अपने पासवर्ड एक बार बदल लें।

(अनुराग भारद्वाज)

आयुक्त

दिनांक: 28-11-17

क्रमांक:एफ.3(PFMS)/आजभूसं/लेखा/2017-18/7876-7993

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, डी.ओ.आई.टी., सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, एस.आई.ओ. एण्ड डी.डी.जी., एन.आई.सी., सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
6. असिस्टेंट कन्ट्रोलर जनरल आफ एकाउन्ट्स एण्ड असिस्टेंट, स्टेट नोडल ओफिसर, एस.पी.एम.यू., पी.एफ.एम.एस., जयपुर(राज0)।
7. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/आई.डब्ल्यू.एम.पी.), आयुक्तालय, जयपुर।
8. सहायक अभियंता(एम.आई.ई.एस.), आयुक्तालय, जयपुर।
9. समस्त परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद
10. श्री संबंधित अधिकारी/कार्मिक को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

अपना * ऑफिसर

Mu

आयुक्त